

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर शहरों का आयोजन

रतलाम 12 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड प्रतिदिन 4 वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जायेंगे

आयुष्मान कार्ड वार्डवार बनाये जाने के तहत 14 जुलाई बुधवार को वार्ड क्रमांक 1 में सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित 61ए रिटायर्ड कालोनी अटैच दुकान वनोबा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार वार्ड क्रमांक 2 में घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित लक्ष्मणपुरा वार्ड क्रमांक 3 में पुजा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित जवाहर नगर अटैच दुकान शीतल महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित व वार्ड क्रमांक 4 में इंदिरा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित इन्द्रलोक नगर में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

वार्डों की उचित मूल्य की दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु श्रीमती ज्योति सुनारिया सहायक आयुक्त नगर पालक निगम रतलाम ए सुश्री अंकता पड्या सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास वभाग ए श्रीमती रश्मि खांबेते कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य वभाग ए श्रीमती आयुषी पालीवाल समग्र सुरक्षा वस्तार अधिकारी नगर पालक निगम रतलाम ए सहयोगी कर्मचारी सर्वश्री सतीश यादव ए हरीश मश्रा ए वासुदेव बैरागी व प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है।

नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उचित मूल्य की दुकानों से परिवार की जानकारी प्राप्त कर आयुष्मान कार्ड बनाने से शेष रहे व्यक्तियों के मोबाईल से सूचना देकर केम्प के लिए निर्धारित स्थान पर निर्धारित

दिनांक को बुलवाकर हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की कार्यवाही संपादित करेंगे साथ ही शेष रहे पात्र हितग्राहियों का घर-घर सर्वे कर कार्ड बनाने की कार्यवाही करेंगे।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है क वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ निर्धारित दिनांक को अपने वार्ड की उ चत मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

पथ वक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें

ऋण हेतु नगर निगम के एनयूएलएम वभाग में संपर्क करें

रतलाम 12 जुलाई । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ वक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सद्धी वशेष अभयान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है क नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ वक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत रा श रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के हाथीखाना स्थित एनयूएलएम कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ वक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ वक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 19 व्यक्तियों पर जुर्माना गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 12 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पा लक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक

जो क खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 12 जुलाई को 19 व्यक्तियों पर जुर्माना कया गया।

खुले में गंदगी करने वाले दुकानदार व नागरिकों पर लगाम लगाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह के साथ सैलाना रोड सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण कर खुले में गंदगी करने वाले 19 व्यक्तियों पर जुर्माना कर भवष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना करने की समझाईश दी।

खुले में गंदगी करने पर आशापुरा करानाए अब्बासए राधेश्याम पाण्डेए कैलाश बर्फवाला सैलाना रोडए गुप्ता मे डकल सैलाना बस स्टैण्ड पर 250. 250ए वश्वमंगल नमकीन सैलाना रोडए कांतिलालए वरेन्द्रए अब्दुल सैलाना बस स्टैण्डए ईमरानए छगनलाल शहर सरायए महावीर चायवालाए मुकेश धानमण्डीए जितेन्द्र मीणा औद्योगिक क्षेत्रए अनिलए सत्यनारायणए भैय्याजी अलकापुरीए माणक मे डकल राम मंदिर पर 100.100 व पार सिंह राम मंदिर पर 50 रूपये का स्पॉट फाईन कया गया।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है क शहर को गंदा करने वाले नागरिकोंए दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456ए पवन झांझोट मो.नं. 7000128812ए आकाष षन्दे मो.नं. 9424075393ए 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110ए राकेष ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन कया जा रहा है वजन 12 जुलाई को 79 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रतलाम 12 जुलाई । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालयों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे<sup>a</sup> चंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया जा रहा है जिसके तहत 12 जुलाई सोमवार को 79 टन कचरा जुलवानिया टे<sup>a</sup> चंग ग्राउण्ड पर पहुंचाया गया। 12 जुलाई सोमवार को डम्पर व टे<sup>a</sup>क्टर ट्रॉली से 44245ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 21105ए काम्पेक्टर गीला कचरा 12670 व मैजिक 1330 कलो इस तरह कुल 79350 कलो कचरा जुलवानिया टे<sup>a</sup> चंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

सफाई कार्य में अब दिखने लगा है सुधार

कार्य के फोटो व्हाट्स एप डालने का हुआ असर

रतलाम 12 जुलाई । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर की सफाई व्यवस्था में ओर अधिक सुधार लाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारियों के फ्लेक्स लगाने व कार्य की फोटो व्हाट्स एप डालने से अब प्रातःकाल से साथ-साथ दोपहर पश्चात भी कर्मचारियों द्वारा सफाई का कार्य मुस्तैदी से किया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया क कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालक निगम रतलाम श्री पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार सफाई व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में सफाई संरक्षक वार्ड दरोगा एं झोन प्रभारी व स्वास्थ्य अधिकारी के नाम एं मोबाईल नम्बर का फ्लेक्स लगाया गया साथ ही कये गये कार्य के फोटो प्रतिदिन व्हाट्स एप ग्रुप में डालने के निर्देश के तहत सफाई कार्य में सुधार आया है। नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने में नागरिक भी सहयोग करें ता क स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में रतलाम नगर स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बन सकें।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने झोन प्रभारी एवं वार्ड दरोगा को निर्देशित किया है कि वार्डों में सफाई संरक्षकों द्वारा प्रतिदिन किये जा रहे कार्यों की फोटो पृथक-पृथक शिफ्टों में अनिवार्य रूप से व्हाट्स एप ग्रुप में बनाउंगा रतलाम नम्बर 1 में भेजेंगे फोटो के आधार पर ही संबंधित कर्मचारी का वेतन भुगतान किया जायेगा।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को निर्देशित किया कि वार्डों में कार्यरत सभी सफाई संरक्षकों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:30 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे। फोटो के आधार पर स्थल पर जाकर कार्य का अवलोकन किया जाकर इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जायेगा।

इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर व हैल्परों उपस्थिति दर्ज करने हेतु दोहरी व्यवस्था लागू करते हुए कर्मशाला वभाग के लपक द्वारा उपस्थिति दर्ज करने के बाद झोन प्रभारियों द्वारा भी अलग रजिस्टर संधारण कर प्रातः 6 बजे एवं दोपहर 2 बजे अपने-अपने वार्डों में कचरा संग्रहण वाहन लेकर जायेंगे व हररोज शाम को 5:30 बजे वाहन जमा कराते समय वाहन के कुल राउण्ड की इन्ट्री भी की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने सभी दरोगाओं को निर्देशित किया है कि वार्ड के सफाई कर्मचारियों का बीट (कार्यक्षेत्र) की जनकारी प्रस्तुत करें गलत जानकारी देने पर संबंधित के वरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

उद्यान वभाग के मालियों की कार्य करते हुए कार्य स्थान के साथ प्रथम शिफ्ट में प्रातः 06:00 व 11:00 बजे व द्वितीय शिफ्ट में दोपहर 02:30 व सांय 05:30 बजे व्हाट्स एप पर भेजे जाने के निर्देश निगम आयुक्त श्री झारिया ने झोन प्रभारी व वार्ड दरोगाओं को दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि जिस कर्मचारी को जो वार्ड ओर कार्य आवंटित है वहां पर

कर्मचारी के नहीं मलने पर सेवा से बर्खास्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

नागरिक व दुकानदार को वड अनुकूल व्यवहार का पालन करें  
रतलाम 12 जुलाई। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिका निगम रतलाम श्री  
कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण  
को नियंत्रण करने हेतु को वड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।  
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों व दुकानदारों व व्यावसायिक  
प्रतिष्ठान मालकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं  
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक  
स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन  
अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के वरुद्ध होगी  
कार्यवाही

रतलाम 12 जुलाई। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा  
संग्रहण वाहन के ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को  
निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर व दुकान आदि से प्रतिदिन  
गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें  
अन्यथा ड्राइवर व हैल्पर वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने  
व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में  
मक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मक्स कचरा डालते हुए  
पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये  
जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि  
प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर व दुकान व गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक  
कचरा लया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया क दोनो पालयों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है क वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे क उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के वरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 जुलाई । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ संकल्पित है जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार ख.सं. व. हेमन्त /12/07/2021 धन.पा.निगम रतलाम.